कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2263708, Fax No.–2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email-eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक / EMRS / 562 / 2021–22 / 823 रायपुर, दिनांक 14 / 6 / 2021

प्रति,

कलेक्टर / अध्यक्ष,
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय
एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
जिला–.......................... (छ.ग.)

विषय :– **शैक्षणिक सत्र 2021–22 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयो में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन के संबंध में।**

–––00–––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रति–वर्ष की भांति शिक्षण सत्र 2021–22 में प्रति विद्यालय में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियो को कक्षा–6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन कर प्रवीण्यता के आधार पर 60 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। अतएव योजनांतर्गत वर्ष 2021–22 में कक्षा–6वीं में प्रवेश हेतु परीक्षा आयोजन संबंधी प्रवेश नीति एवं आवेदन पत्र एवं चेक लिस्ट का प्रारूप संलग्न प्रेषित है। विद्यार्थियो के प्रवेश हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे :–

1. चयन परीक्षा **दिनाक 15.07.2021 दिन गुरूवार को प्रातः 10:30 से 12:30 तक** आयोजित किया जाये ।
2. कोविड–19 को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा केन्द्रो का निर्धारण पर्याप्त समय पूर्व पर किया जाये तथा विद्यार्थियों एवं शालाओं तक जानकारी पहुंचाया जाए।
3. संबंधित सहायक आयुक्त, जिलें में स्वीकृत एवं संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में आवेदन फार्म लेने हेतु समुचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. प्रवेश पत्र समय पर जारी कर शालाओं / अभिभावकों तक पहुंचाया जाए ।
5. प्रवेश परीक्षा संबंधी निर्देश शाला स्तर तक पहुंचाते हुए समाचार पत्रों एवं व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये। मैदानी क्षेत्र के कर्मचारी यथा मंडल संयोजक, सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, सी.ए.सी., सी.आर.सी आदि के माध्यम से जानकारी शालाओं तक पहुंचाया जाए एवं अभिभावको को इस संबंध में जागरूक किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रतिभावान बच्चे इस योजना का लाभ ले सकें।
6. परीक्षा केन्द्रो पर केन्द्राध्यक्ष नियुक्त करते हुए सभी कर्मचारियों को इस परीक्षा योजना के बारे में प्रशिक्षित किया जाए।
7. परीक्षा केन्द्रो पर केन्द्राध्यक्ष एक शिक्षक तथा एक अशासकीय व्यक्ति के समक्ष प्रश्न पत्र के लिफाफे को परीक्षा चालू होने के 20 मिनट पूर्व खोला जाकर हस्ताक्षर युक्त लिफाफा सुरक्षित रखा जाये।
8. बच्चों को वितरित प्रश्न पत्रों में ड्यूटी कर रहे पर्यवेक्षको के हस्ताक्षर कर नाम एवं पद नाम, पदस्थापना स्थान सहित उल्लेखित किया जाए।
9. परीक्षा आयोजन संबंधी समस्त कार्य बहुत सावधानी एवं गोपनीयता से किया जाये फर्जी परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से रोका जाये। इसमें किसी प्रकार की गड़गड़ी होने पर संबंधितो की जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासन की कार्यवाही किया जावे।
10. उत्तर पुस्तिकों का मूल्यांकन हेतु पर्यवेक्षकों के अलावा अन्य शिक्षको को लगाया जाये एवं उत्तर पुस्किाओ का जांच निश्पक्षता पूर्वक कराया जाए ।
11. चेक लिस्ट में दिये गये दिनांकवार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए नवीन शिक्षण सत्र 2021–22 हेतु नियमित कक्षाएं शासन के निर्देशानुसार प्रारंभ कराना सुनिश्चित किया जाए ।

निरन्तर ....

12. प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर संपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम के सफल संचालन एवं नियंत्रण हेतु एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी को प्रेक्षक नियुक्त किया जाए ।
13. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु जिला कलेक्टर द्वारा एक समिति का गठन किया जावेगा जो प्रवेश परीक्षा से लेकर विद्यार्थियों के प्रवेश तक की सम्पूर्ण कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा।

अतः प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कराकर पालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाए। प्रवेश संबंधी कार्यवाही एवं आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

संलग्न :—उपरोक्तानुसार
(आयुक्त / पदेन सचिव द्वारा अनुमोदित)

(शम्मी आबिदी)
संचालक
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / EMRS / 562 / 2021—22 / 824 **रायपुर, दिनांक** 14 / 6 **/ 2021**
प्रतिलिपि :—

1. **निज सचिव,** मान. मंत्री, आदिम जाति अनुसूचित कल्याण विभाग एवं अध्यक्ष छ.ग. राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. **सचिव,** छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. **समस्त परियोजना प्रशासक,** एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना .... जिला...................... (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ ।
4. **सहायक आयुक्त / सदस्य सचिव,** जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला—............................. (छ.ग.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे एवं स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार—प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करे।
5. **प्राचार्य / उपप्राचार्य** , एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय.. जिला...................... छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संचालक
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा संबंधी चेक लिस्ट वर्ष 2021–22

कं	विवरण	दिनांक	दिन
1	विद्यार्थियों द्वारा भरा हुआएवं प्रधान पाठक द्वारा अग्रेषित आवेदन पत्र संबंधित जिलें/विकासखंड में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि।	26.06.2021	शनिवार
2	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों के आवेदन पत्र का परीक्षण एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के कार्यालय मे जमा करने की तिथि।	30.06.2021	बुधवार
3	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास छ.ग.द्वारा राज्य मुख्यालय को प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या जिलेवार, विकास–खण्डवार (Mail/Fax) भेजने की तिथिं	03.07.2021	शनिवार
4	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास छ.ग. द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण एवं प्रवेश पत्र एवं रोल नम्बर जारी करना एवं इसकी सूचना सभी अधीक्षकों/वि.ख.शि.अ. के माध्यम से शाला एवं विद्यार्थियों तक पहुंचाना एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित करना।	07.07.2021	बुधवार
5	राज्य मुख्यालय से सील बन्द प्रश्न पत्रों का वितरण की तिथि। (सहायक आयुक्त द्वारा किसी जिम्मेदार अधिकारी को भेजा जाए)	12.07.2021	सोमवार
6	जिला स्तर/विकास खण्ड स्तर पर परीक्षा का आयोजन की निर्धारित तिथि।	15.07.2021	गुरूवार
7	जिला मुख्यालय पर प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम की घोषणा तथा जिला–स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशन तथा जिला के वेबसाईड में अपलोड़ कराना।	17.07.2021	शनिवार
8	दावा आपत्ति प्राप्त करने की अन्तिम तिथि।	22.07.2021	गुरूवार
9	जिला स्तर पर दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात् अंतिम चयन सूची जारी किया जाना एवं सर्वसंबंधितों को प्रवेश हेतु सूचित किया जाना एवं समाचार पत्रो में सूचना प्रकाशित किया जाना।	26.07.2021	सोमवार
10	आयोजित प्रवेश परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या तथा केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं मूल्यांकनकर्त्ता शिक्षकों के नाम तथा विद्यार्थियों की अंतिम मेरिट सूची आयुक्त कार्यालय को भेजने की अन्तिम तिथि।	28.07.2021	बुधवार
11	विद्यालय में विद्यार्थियो का प्रवेश प्रांरभ	02.08.2021 से 06.08.2021	

(शम्मी आबिदी)
संचालक
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत स्वीकृत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु

प्रवेश नीति वर्ष 2021–22

(1) परिचय :–

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत, भारत सरकार,जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित एवं शत–प्रतिशत सहायता प्राप्त प्रदेश में 71 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप गठित एक उच्च स्तरीय स्वशासी, ''छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति'' द्वारा किया जाता है। वर्तमान में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,(CBSE) से सम्बद्ध उक्त आवासीय विद्यालयों में प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक / बालिकाओं हेतु कक्षा 6वीं से 12वीं तक हिन्दी माध्यम से निःशुल्क अध्ययन की सुविधा है। इन विद्यालयों मे प्रवेश हेतु एक चयन परीक्षा का आयोजन कर मैरिट सूची तैयार की जाती हैं, जिसके आधार पर विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाता है।

(2) योजना के उद्देश्य :–

1. अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करना उनका संचालन करना तथा इस उद्देश्य के पूर्ति हेतु समस्त अनुषांगिक कार्य करना।
2. इन संस्थाओं में अध्ययनरत् बालक एवं बालिकाओं के शैक्षणिक, मानसिक, शारीरिक तथा सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास की गतिविधियाँ को बढ़ावा देना।
3. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियो को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य जाति के समकक्ष लाना ।
4. विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना।

(3).विद्यालयवार स्वीकृत सीट्स :–

शैक्षणिक सत्र 2021–22 में निम्नांकित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में 60 सीट के मान से विद्यार्थियों को चयन परीक्षा के माध्यम से प्रवेशित कराया जाना है, विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला	विकासखण्ड	विद्यालय का प्रकार	विद्यालय का नाम	कक्षा–6वी में स्वीकृत सीट		
					बालक	बालिका	योग
1	सरगुजा	मैनपाठ	बालक	EMRS, कमलेश्वरपुर,	60	–	60
2		उदयपुर	संयुक्त	EMRS, रीखी	30	30	60
3		सीतापुर	संयुक्त	EMRS, पेतला	30	30	60
4		बतौली	कन्या	EMRS, शिवपुर	–	60	60
5	सूरजपुर	भैयाथान	बालक	EMRS, शिवप्रसादनगर	60	–	60
6		ओड़गी,	संयुक्त	EMRS, ओड़गी,	30	30	60
7		प्रतापपुर	संयुक्त	EMRS, खोरमा	30	30	60
8		प्रेमनगर	कन्या	EMRS, परवातीपुर	–	60	60
9	रायगढ़	खरसिया	बालक	EMRS, छोटेमुड़पार	60	–	60
10		धरमजयगढ़	संयुक्त	EMRS, बयासी	30	30	60
11		घरघोड़ा	कन्या	EMRS, छातारांगढ़	–	60	60
12	कबीरधाम	बोड़ला	बालक	EMRS, तरेगांवजगल	60	–	60
13	जगदलपुर	बकावण्ड	बालक	EMRS, करपावण्ड़	60	–	60
14		बस्तर	संयुक्त	EMRS, बेसोली	30	30	60
15		तोकापाल	संयुक्त	EMRS, मेटावाड़ा	30	30	60
16		लोहांडीगुड़ा	कन्या	EMRS, गधियॉ	–	60	60
17		बास्तानार	संयुक्त	EMRS, कोडेनार	30	30	60
18		दरभा	संयुक्त	EMRS, छिदवाड़ा	30	30	60

क्र.	जिला	विकासखण्ड	विद्यालय का प्रकार	विद्यालय का नाम	कक्षा–6वी में स्वीकृत सीट		
					बालक	बालिका	योग
19	कांकेर	अंतागढ़	बालक	EMRS, लामकन्हार	60	–	60
20		कांकेर	संयुक्त	EMRS, बारदेवरी	30	30	60
21		नरहरपुर	कन्या	EMRS, नरहरपुर	–	60	60
22		भानुप्रतापपुर	संयुक्त	EMRS, फरासकोट	30	30	60
23		दुर्गकोंदल	संयुक्त	EMRS, हिलचुर	30	30	60
24	जशपुर	बगीचा	कन्या	EMRS, सन्ना	–	60	60
25		जशपुर	संयुक्त	EMRS, घोलेंग	30	30	60
26		कांसाबेल	संयुक्त	EMRS, धुधरूंड़	30	30	60
27		पत्थलगॉव	संयुक्त	EMRS, सुकरापारा	30	30	60
28	दन्तेवाड़ा	कटेकल्याण	कन्या	EMRS, कटेकल्याण,	–	60	60
29		दन्तेवाड़ा	संयुक्त	EMRS, दन्तेवाड़ा	30	30	60
30		गीदम	संयुक्त	EMRS, हरम	30	30	60
31		कुऑकोण्डा	कन्या	EMRS, कुऑकोण्डा	–	60	60
32	राजनादगांव	राजनांदगांव	संयुक्त	EMRS, पेण्ड्री	30	30	60
33		मानपुर	संयुक्त	EMRS, ख्वासफड़की	30	30	60
34		मोहला	संयुक्त	EMRS, माडिग फीडिंग धेनु	30	30	60
35	कोरिया	खड़गवा	संयुक्त	EMRS, पोड़ीड़ीह	30	30	60
36		सोनहत	संयुक्त	EMRS, घुघरा	30	30	60
37		भरतपुर	संयुक्त	EMRS, जमथान	30	30	60
38	बीजापुर	भैरमगढ़	संयुक्त	EMRS, भैरमगढ़	30	30	60
39		बीजापुर	संयुक्त	EMRS, बीजापुर	30	30	60
40		भोपालापटनम	कन्या	EMRS, रूद्राराम	–	60	60
41		उसुर	संयुक्त	EMRS, डोंगीगुड़ा	30	30	60
42	कोरबा	कटघोरा	संयुक्त	EMRS, छुरीकला	30	30	60
43		पाली	संयुक्त	EMRS, लाफा	30	30	60
44		पोडीपोड़ा	संयुक्त	EMRS, रामपुर	30	30	60
45	बिलासपुर	मरवाही	संयुक्त	EMRS, डोगरिया	30	30	60
46		पेण्ड्रा	संयुक्त	EMRS, लाटा	30	30	60
47		गौरेला	संयुक्त	EMRS, नेवसा–पेण्ड्रा रोड	30	30	60
48	कोण्डागांव	कोण्डागांव	संयुक्त	EMRS, मर्दापाल	30	30	60
49		केशकाल	संयुक्त	EMRS, बेडमा	30	30	60
50		फरसगॉव	संयुक्त	EMRS, चिचाड़ी	30	30	60
51		बडेराजपुर	संयुक्त	EMRS, कोरगॉव	30	30	60
52		माकडी	संयुक्त	EMRS, माकडी	30	30	60
53	नारायणपुर	नारायणपुर	संयुक्त	EMRS, छेरीबेड़ा	30	30	60
54		ओरछा	संयुक्त	EMRS, छोटेडोंगर	30	30	60
55	बलरामपुर	बलरामपुर	संयुक्त	EMRS, भेलवाडीही	30	30	60
56		वाड्रफनगर	संयुक्त	EMRS, मदनपुर	30	30	60
57		कुसमी	संयुक्त	EMRS, रामनगर	30	30	60
58		रामचन्द्रपुर	संयुक्त	EMRS, देवीगंग	30	30	60
59		राजपुर	संयुक्त	EMRS, बुधा बगीचा	30	30	60
60		शंकरगढ़	संयुक्त	EMRS, दोहना	30	30	60
61	सुकमा	सुकमा	संयुक्त	EMRS, सुकमा	30	30	60
62		कोन्टा	संयुक्त	EMRS, ऐराबोर	30	30	60
63		छिंदगढ़	कन्या	EMRS, बलातीकरा	–	60	60

क्र.	जिला	विकासखण्ड	विद्यालय का प्रकार	विद्यालय का नाम	कक्षा–6वी में स्वीकृत सीट		
					बालक	बालिका	योग
64	गरियाबन्द	छुरा	संयुक्त	EMRS, केसोडोर	30	30	60
65		मैनपुर	संयुक्त	EMRS, गिरहोला	30	30	60
66	धमतरी	नगरी	संयुक्त	EMRS, पथर्रीडीह	30	30	60
67	बालोद	डौण्डी	संयुक्त	EMRS, दल्लीराजहरा	30	30	60
68	बलौदाबाजार	कसडोल	संयुक्त	EMRS, बलदाकछार	30	30	60
69	जांजगीर	शक्ती	संयुक्त	EMRS, पलारी खुर्द	30	30	60
70	महासमुन्द	महासमुन्द	संयुक्त	EMRS, भोरिंग	30	30	60
71	मुंगेली	लोरमी	संयुक्त	EMRS, बंधवा	30	30	60
	योग				2010	2250	4260

(4) सीटो का आरक्षण :–

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिये है। विद्यालय में प्रवेशित सीटों का आरक्षण निम्नानुसार होगाः–

1. अनुसूचित जनजाति के विशेष पिछड़ी जनजाति (कमार, अबूझमाडियां, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, पण्डो तथा भुंजिया) के विद्यार्थियों को प्राथमिता दी जायेगी ।
2. अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियो हेतु 5% आरक्षण होगा। इसके लिये जिले मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
3. एकलव्य विद्यालय में कार्यरत अमले के कर्मचारियो को अधिकतम 02 बच्चों को डे–स्कालर के रूप में विद्यालय में अध्यापन की सुविधा प्रदान की जायेगी।
4. एकलव्य विद्यालय में गैर आदिवासी विद्यार्थियो हेतु कक्षा–6वीं में स्वीकृत सीट का 5% (03 सीट) स्थानीय समुदाय के बच्चो के लिए आरक्षित होगा, (जो विद्यालय के निर्माण में भूमिदान एवं अन्य विकास कार्य में सहयोग करने वाले परिवार के बच्चों को प्राथमिकता दी जावेगी।) नक्सल हिंसा में पालक/अभिभावक खोने वाले बच्चों को अधिकतम 02 सीटों में प्रवेश दिया जावेगा। जिनका चयन का अनुमोदन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा।
5. शेष सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों से भरा जायेगा।

कंडिका– 1,2,3 एवं 4 में से छात्र–छात्राऐ न मिलने पर सीटो की पूर्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों से की जावेगी।

(5) पात्रता :–

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु पात्रता की शर्ते निम्नानुसार है :–

1. विद्यार्थी की आयु 01 जुलाई 2021 को 10 से 13 वर्ष के मध्य हो।
2. प्रवेश के समय कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण होना चाहिए ।
3. छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

(6) आवेदन पत्र :–

चयन परीक्षा के लिए निर्धारित आवेदन पत्र निम्न स्थानों से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकेंगे :–

1. कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, छ.ग.।
2. संबंधित कार्यालय प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छ.ग.।
3. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट–www.tribal.cg.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी कारणवश आवेदन पत्र की मूलप्रति उपलब्ध नहीं हो तो समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन (आवेदन पत्र) को टंकित कराकर भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(7) आवेदन पत्र को जमा करना :—

आवेदन पत्र पूर्णतः भरकर कंडिका–3 में दर्शित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में **दिनांक 26.06.2021** तक कार्यालयीन समय में जमा कर पावती प्राप्त कर सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। **संबंधित सहायक आयुक्त, जिलें में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में आवेदन फार्म लेने हेतु समुचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करेंगे।**

(8) प्रवेश पत्र :—

निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र पाये गये आवेदकों को चयन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र भेजा जावेगा। चयन परीक्षा की तिथि तक प्रवेश पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में परीक्षा के पूर्व आवेदक आवेदन पत्र जमा करने की पावती प्रस्तुत कर परीक्षा केन्द्रों से प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त कर सकेंगे।

(9) चयन परीक्षा की तिथि :—

(i) चयन परीक्षा का दिनांक 15.07.2021 दिन–गुरूवार को प्रातः 10:30 से अपरान्ह 12:30 बजे तक। चयन परीक्षा में यदि किसी अपरिहार्य कारणों से संशोधन होता है तो इसकी सूचना समाचार पत्रों एवं विभागीय कार्यालयों के सूचना पटल से प्राप्त की जा सकेगी। इस हेतु पृथक से आवेदक को सूचना नही दी जायेगी। अतः इस संबंध में संबंधित शाला के प्रधान पाठक/शिक्षक एवं अभिभावक स्वयं सतर्क रहें।

(ii) परीक्षा केन्द्र :—

कोविड–19 को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन जिन जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं, वहां के जिला मुख्यालयों/विकासखंड मुख्यालय स्तरीय हा0से0/संकुल स्तरीय हा0से0 में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य केन्द्र बनाने के संबंध में कलेक्टर अपने स्तर से निर्णय ले सकेंगे। परीक्षा केन्द्रों को निर्धारण इस प्रकार से किया जाये कि किसी भी केन्द्र पर उतनी ही छात्र हो सके जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकें। चयन परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में अंकित केन्द्र में परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा केन्द्र में संशोधन करने का आवेदन किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं किया जायेगा। बिना प्रवेश पत्र के कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। प्रवेश पत्र जारी करने का अधिकार सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं संस्था प्रमुखे होंगे। परीक्षा केन्द्र में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र, आधार कार्ड या परिचय पत्र लाना आवश्यक होगा।

(iii) परीक्षा का माध्यम :—

चयन परीक्षा का माध्यम हिन्दी होगा।

(iv) प्रवेश परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र की संरचना :—

कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा प्रश्न पत्र कुल 04 खण्डों में होगा। प्रत्येक खण्ड में से **25–25 वस्तुनिष्ठ/लघु उत्तरीय प्रश्न 100 अंको के होंगे प्रत्येक प्रश्न के 01 अंक होगें:—**

खण्ड	विषय का विवरण	प्रश्नों की संख्या	अंक
अ	गणित	25	25
ब	अंग्रेजी	25	25
स	हिन्दी	25	25
द	पर्यावरण	25	25
	योग	**100**	**100**

किन्तु कोविड–19 की परिस्थिति को देखते हुए चयन के मापदण्ड/पद्धति में परिवर्तन भी किया जा सकता है।

(v) उत्तर पुरितका :—

1. प्रश्न पत्र में ही निर्धारित स्थान पर उत्तर अंकित किये जा सकेंगे। उत्तर देने के लिए अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी।
2. उत्तर अंकित करने हेतु बाल पेन का उपयोग किया जा सकेगा, पेन्सिल का उपयोग वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र में पेन परीक्षार्थी स्वयं लेकर आयेंगे।

3. प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ/लघु उत्तरीय प्रकार का होगा एवं प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे। सही विकल्प के उत्तर को निर्धारित स्थान पर लिखना होगा तथा सही उत्तर पर (○) का निशान लगाना होगा। अन्य निशान मान्य नहीं किया जायेगा।
4. एक बार उत्तर अंकित करने के पश्चात् उत्तर बदलने के लिए पहले उत्तर में (☒) का चिन्ह अंकित करने के बाद सही उत्तर में (○) का निशान लगाना होगा।
5. उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ऋणात्मक अंक प्रणाली नहीं होगी।

(vii) उदाहरण :—

1. 56 तथा 32 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए।

प्रथम विचार

1. 4	2. 20
3. ⑧	4. 14

उपरोक्त उदाहरण में सरल क्रमांक–3 का उत्तर मान्य किया जायेगा।

2. छत्तीसगढ़ की राजधानी .... है (रिक्त स्थान की पूर्ति करें)

1. रायपुर	2. बिलासपुर
3. बस्तर	4. सरगुजा

(viii) उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन :—

चयन परीक्षा के परिणाम **दिनांक 22.07.2021** तक घोषित कर दिया जायेगा। परीक्षा परिणाम का प्रदर्शन जिला कार्यालय, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं संबंधित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में किया जावेगा।

(10.) चयन एवं प्रवेश :—

1. चयन परीक्षा के आयोजन हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा किसी डिप्टी कलेक्टर या वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाय जिसमें जिला के जिला शिक्षा अधिकारी एवं समग्र शिक्षा के अधिकारी को भी शामिल किया जाय। इसके अतिरिक्त प्रवेश हेतु शाला स्तर पर प्रवेश समिति का गठन किया जाए।
2. चयनित आवेदकों को प्रवेश के समय समस्त आवश्यक प्रमाण–पत्रों तथा कक्षा 5वीं उत्तीर्ण की अंकसूची की मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा।
3. प्रवेश के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय जिला स्तरीय समिति का मान्य किया जायेगा।
4. चयन परीक्षा में प्राप्तांकों के मेरिट अंकों के आधार पर चयन किया जावेगा। चयन परीक्षा में पुर्नमूल्यांकन एवं पुर्नगणना का कोई प्रावधान नहीं होगा।
5. चयन परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को केवल उन्हीं संस्थाओं में प्रवेश दिया जायेगा, जहां के लिए उन्होंने आवेदन किया है।
6. प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. चयन परीक्षा में चयनित एवं असफल उम्मीदवारों के अंक गोपनीय रखे जायेंगे।
8. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेशित एवं अध्ययनरत छात्र/छात्राएं यदि किसी वर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उन्हें पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
9. परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को 15 दिवस के भीतर संस्था में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
10. **प्रवेश के समय निम्नानुसार दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा :—**

क. कक्षा पांचवी की अंकसूची।
ख. शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र।
ग. छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र।
घ. अनुसूचित जनजाति का स्थायी जाति प्रमाण पत्र।
ङ. आधार कार्ड का छायाप्रति।
च. जिला चिकित्सालय बोर्ड का स्वास्थ प्रमाण पत्र प्रवेश के 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराना।

(उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों की मूल एवं सत्यापित प्रति लाना अनिवार्य होगा)..........

(11) छात्रावास सुविधा :—

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पूर्णतः आवासीय शिक्षा संस्था है। विद्यालय में प्रवेशित छात्र—छात्राओं को छात्रावास में निःशुल्क आवास एवं शिष्यवृत्ति की राशि में से भोजन की व्यवस्था की जावेगी।

(12). विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधा :—

कमांक	विवरण
1	शिष्यवृत्ति
2	पोषण आहार
3	शाला गणवेश
4	स्कूल बैग
5	टी शर्ट, शार्ट्स एवं ब्लेजर
6	पी.टी.शूज /जूता
7	मोजा
8	अंडर वियर
9	बनियान
10	टॉवेल
11	टाई एवं बेल्ट
12	टूथब्रश पेस्ट, नारियल तेल एवं साबुन (नहाने/कपड़ा धोने)
13	स्वच्छता प्रसाधन हेतु (सेनेटरी नेपकिन)
14	पाठ्य पुस्तक /कापियां एवं लेखन सामग्री
15	यात्रा व्यय (घर से स्कूल आने जाने)
16	यात्रा व्यय (विभिन्न गतिविधियों में विद्यार्थियों के बाहर जाने पर दैनिक भत्ता)
17	चिकित्सा व्यय

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कम्प्यूटर/विज्ञान लैब एवं पुस्तकालय के साथ—साथ प्रतिभावान खिलाड़ी छात्र—छात्राओं हेतु क्रीड़ा सामग्री एवं प्रशिक्षित व्यायाम अनुदेशकों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जावेगी।

(13). प्रवेश नीति में संशोधन :—

उपरोक्त प्रवेश नीति में आवश्यतानुसार छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय समिति के ''संचालक मण्डल'' द्वारा संशोधन किया जा सकेगा।

(शम्मी आबिदी)
संचालक
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में चयन परीक्षा वर्ष 2021–22

आवेदन–पत्र

परीक्षा का दिनांक **15/07/2021**

पासपोर्ट आकार का नवीन फोटो चिपकायें जो उस विद्यालय (जहाँ वह कक्षा 5 वीं में पढ़ रहा है/रही है) के प्रधानाचार्य से सत्यापित हो

(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)
रोल नंबर :–

परीक्षा केन्द्र का नाम : ....

जिले का नाम : ....परीक्षा का माध्यम ....

(आवेदक द्वारा भरा जावेगा)

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) : ....
   अंग्रेजी में (कैपिटल लेटर में) : ....
3. पिता का नाम : ....
4. माता का नाम : ....
5. छ.ग. राज्य द्वारा घोषित अ.ज.जा का नाम : ....
   (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पालक का जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए)
6. आवेदक विशेष पिछड़ी जनजाति यथ (कमार, अबुझमाड़ियां, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, पण्डो तथा भुंजिया) वर्ग में आता हो तो उस वर्ग का नाम एवं प्रमाण पत्र :..
7. पत्र व्यवहार का पता : ....
8. क्या विद्यार्थी विकलांग है ? : हां / नही
   (यदि हां तो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
9. क्या विद्यार्थी के पालक एकलव्य विद्यालय के कर्मचारी है? : हां/नही (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. विद्यार्थी के पालक एकलव्य विद्यालय के लिए भूमि/भवन निर्माण में योगदान दिया है : हां/नही
    (सरपंच का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
11. पालक का मोबाइल नंबर : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
12. जन्म तिथि (अंकों में) : तिथि ☐☐ माह ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐
13. जन्म तिथि (शब्दो में) : ....
14. दिनांक 01.07.2021 को आयु (10 वर्ष से 13 वर्ष के बीच हो) वर्ष .... माह .... दिन ....
15. उचित बॉक्स में सही (✓)का निशान लगायें
    (अ) लिंगः– पुरूष ☐ महिला ☐
16. कक्षा पांचवीं उत्तीर्ण हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें। कक्षा 5वी उत्तीर्ण करने का वर्ष..............................
17. विद्यार्थी का आधार कार्ड (ऐच्छिक है) का कमांक..

आवेदक का हस्ताक्षर दिनांक सहित

शाला प्रमुख द्वारा सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यार्थी श्री/कु. .... पिता श्री.............................. ग्राम.. वि.खं... जिला ....(छ.ग.) विद्यालय .... में कक्षा ....अध्ययनरत है । विद्यार्थी द्वारा द्वारा आवेदन में दिये गये विवरण अभिलेखों का परीक्षण कर लिया है, विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होने की पात्रता रखता है ।

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर एवं सील दिनांक सहित

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में चयन परीक्षा वर्ष 2021—22

आवेदन पत्र की पावती

श्री / कुमारी .... पुत्र / पुत्री श्री ....का

आवेदन पत्र एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय .... जिला .... ,

(छत्तीसगढ़) मे प्रवेश परीक्षा वर्ष 2021—22 हेतु दिनांक .... को प्राप्त हुआ।

नोट : 1. यदि प्रवेश पत्र नही मिल पाता है तो इस पावती के आधार पर विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो सकते है ।

2. परीक्षा केन्द्र पर विद्यार्थी दो नवीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, परिचय पत्र यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, प्रधानपाठक द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि लावे जिससे परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति जारी किया जा सके।

3. परीक्षा दिनांक **15.07.2021** को प्रातः 10:30 से 12:30 तक है अतः परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचे।

आवेदन प्राप्तकर्ता अधिकारी का
हस्ताक्षर एवं सील दिनांक सहित